राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.18(8)नविवि / 1/09

दिनांक : 1 0 DEC 2012

सचिव,

विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर।

राजस्थान आवासन मण्डल,

जयपुर।

नगर विकास न्यास, आबू/अजमेर/अलवर/ भरतपुर / भीलवाड़ा / भिवाड़ी / बीकानेर/गंगानगर/जैसलमेर/ कोटा / उदयपुर।

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।

विषय:- आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) व अल्प वर्ग (LIG) के लिए आँय सीमा निर्धारित करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्त्रगत लेख हैं कि Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, भारत सरकार ने अपने पत्रांकः 1—14012/59/2005-H-II/FTS-1465 दिनांक 14.11.2012 के द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) व अल्प वर्ग (LIG) के लिए वार्षिक आय निर्धारित कर अवगत करवाया है। उक्त पत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

are presently fixed at Rs.5000/- and Rs.5001/10,000 ្ត្រ(based on 2008 prices and effective since March 2010).

Revision of Income Ceiling

For realignment of the ceilings reflecting growth in the income and expenditure levels and increase in cost of housing, a fresh assessment has been carried out based on 6 authentic parameters namely. CPI consumer